राम कुमार

बनाम

केन्द्रीय स्वापक ब्युरों

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 800)

5 मई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे.जे.]

स्वापक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985:

धारा 8, 21, 42, 50 & 67 - पीडब्लू 4 और 2 स्वापक विभाग के अधीक्षक व निरीक्षक की ओर से एक बस के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दो यात्रियों जिसमें अपीलार्थी भी शामिल था, से 'ब्राउन शुगर' बरामद हुई- निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा दोषसिद्धि-- जिसको इस आधार पर चुनौती दी गई की यह धारा 42 व 50 उल्लंघन हुआ था और गवाह पी.ड. 2 व 4 की साक्ष्य में निषिद्ध पदार्थ की जब्ती के बारे में विसंगति थी।

अभिनिर्धारित किया गया- वर्तमान प्रकरण निषिद्ध पदार्थ की लोक स्थान से सामान्य तलाशी के दौरान संयोग जब्ती से संबंधित है। धारा 42 यहाँ लागु नहीं है- इसके अलावा, जब अपीलार्थी को धारा 67 के तहत परीक्षित किया गया तो अपीलार्थी ने निषिद्ध पदार्थ का सचेत कब्जा स्वीकार किया गया। स्वैच्छिक सस्वीकृति से इंकार नही किया गया। गवाह संख्या पी.ड. 2 व 4 की साक्ष्य में भिन्नता पुर्णतया सुक्ष्म है जो गवाहों की साक्ष्य की विश्वसनीयता को किसी रूप में प्रभावित नही करती है। नमूनों

को विधिवत सील कर दिया गया था और जाँच के लिए भेजा गया और प्राप्त रिपोर्ट का यह निष्कर्ष था कि पदार्थ 'ब्राउन शुगर' था-अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्लू 4 और 2 क्रमशः अधीक्षक और निरीक्षक के रूप में मादक पदार्थ विभाग में पदस्थापित थे, एक बस के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दो यात्रियों जिसमें अपीलार्थी भी शामिल था, से 'ब्राउन शुगर' बरामद की।

विशेष न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985) द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को धारा 8 व 21 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में दोषसिद्ध कर 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अपील में, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि व सजा की पुष्टि की।

इस दोषसिद्धि को इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से अधिनियम की धारा 42 और 50 के उल्लघंन व गवाह पी.डब्ल्यू. 2 व 4 की साक्ष्य में निषिद्ध पदार्थ की जब्ती के बारे में विसंगति के आधार पर चुनौती दी गई।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. वर्तमान मामला संयोग वसूली का है। धारा 42 स्वापक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 लागु नहीं है। गवाहों की साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि यह कि नियमित तलाशी के दौरान एक सार्वजनिक स्थान पर संयोग वसूली का एक मामला है। निषिद्ध वस्तुओं को अपीलार्थी और सह अभियुक्त के विशेष कब्जे से बरामद किया गया था। [पैरा 6] [707-ई; 708-ए, बी]

2. इसके अलावा, धारा 67 में जब अपीलार्थी को परीक्षित किया गया तो अपीलार्थी ने निषिद्ध वस्तुओं के सचेत कब्जे को स्वीकार किया थाइसके अलावा, जब अपीलार्थी को धारा 67 के तहत परीक्षित किया गया तो अपीलार्थी ने निषिद्ध पदार्थ का सचेत कब्जा स्वीकार किया गया। स्वैच्छिक सस्वीकृति से इंकार नही किया गया। गवाह

संख्या पी.ड. 2 व 4 की साक्ष्य में भिन्नता पुर्णतया सुक्ष्म है जो गवाहों की साक्ष्य की विश्वसनीयता को किसी रूप में प्रभावित नही करती है। साक्ष्य स्पष्टता के साथ यह दर्शित करती है कि अभियोजन पक्ष नमूनों लेने, मालखाने में जमा कराने, प्रयोगशाला मे जमा कराने व विशेषज्ञों द्वारा जांच किये जाने किये जाने के तथ्य को लेने साबित किया है। पीडब्लू-2 की यह साक्ष्य है कि अभियुक्त व्यक्तियों की तलाशी के दौरान जूतों के अंदर ब्राउन शुगर पाई गई थी। यू. एन. ओ. किट द्वारा जाँच किए जाने पर इसकी पहचान ब्राउन शुगर के रूप में की गई। नमूनों जो कि विधिवत सील्ड किया गया था, उन्हें परीक्षा हेतु कारखाने में भेजा गया था और रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह निष्कर्ष निकाला कि वस्तुएँ ब्राउन शुगर थीं। [पैरा 7] [708 - बी, सी, डी, ई]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 800/2008

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर पीठ के आपराधिक अपील संख्या 1159/1999 में आदेश दिनांकित 11.3.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से डॉ. सुशील बलवाड़ा (ए. सी.)।

प्रत्यर्थी की ओर से संजीव भारद्वाज किरण भारद्वाज और बी. वी. बलराम दास।

निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधीश द्वारा दिया गया।

1. याचिका स्वीकार की गई।

2. इस अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई जिसमें विद्वान विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. अधिनियम), इंदौर के द्वारा विशेष मामला संख्या 10/98 में अपीलार्थी को व एक अन्य आरोपी अज़ीज़ खान को स्वापक औषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') धारा 8 और 21 के तहत दंडित करने और प्रत्येक को 10 साल

की सजा और 1,00,000/- रूपये जुर्माना व्यतिक्रम की शर्त के साथ दण्ड दिये जाने की पुष्टि की गई।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

दिनांक 5.19.1997 मादक पदार्थों के अधीक्षक पर विभाग, श्री ए. बी. आचार्य (पीडब्लू-4) और निरीक्षक देविलाल प्रजापति (पीडब्लू-2) महू नाका की ओर बढ़े। रात 8 बजे उन्होंने पंजीकरण वाली बस संख्या एमपी-09/एस-1841 की जाँच की, जो इंदौर से बॉम्बे जा रही थी। उन्होंने चालक को सूचित किया और बस के संचालक ने कहा कि निषिद्ध वस्तुओं की जाँच के संबंध में, वे बस की जाँच करना चाहते हैं। निरीक्षण करने पर उन्होंने सीट संख्या 1 व 2 पर दो व्यक्तियों को बैठे हुए पाया। अभियोजन के मामले के अनुसार अपीलार्थी और सह-अभियुक्त दोनों को देखने पर उलझन में पड़ गये। अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस देने के बाद उनकी तलाशी ली गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार सह अभियुक्त अज़ीज़ से 800 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई, जिसे जूतों के अंदर रखा गया था और अपीलार्थी से 710 ग्राम 'ब्राउन शुगर' जब्त किया गया। आवश्यकता औपचारिकताओं की पालन करने के बाद चार नमूने लिए गए और उन्हें रासायनिक परीक्षक को भेजा गया। रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने पर ब्राउन शुगर की उपस्थिति की पुष्टि की गई और विशेष न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोप पत्र के अवलोकन के बाद अधिनियम की धारा 8/21 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए। अभियुक्तगण ने स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक किया। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के बयानों पर विश्वास किया और दोषसिद्धि दर्ज की और सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने अपील में दोषसिद्ध व दण्डादेश की पुष्टि की।

4. अपील में अपीलार्थी का मूल रुख यह था कि अधिनियम की धारा 42 और 50 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। यह दर्शित किया गया कि कथित निषिद्ध वस्तुओ के जब्ती के तरीके के बारे में दो गवाहों का साक्ष्य में विसंगति थी।

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निचले न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

6. यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान प्रकरण निषिद्ध पदार्थ की लोक स्थान से सामान्य तलाशी के दौरान संयोग जब्ती से संबंधित है और धारा 42 यहाँ लागु नहीं है। श्री ए. बी. आचार्य (पीडब्लू-4) और देविलाल प्रजापति (पीडब्लू-2) जो की संबंधित समय 5.9.1997 पर मादक पदार्थ विभाग के अधीक्षक व निरीक्षक के रूप में तैनात थे और वे आकस्मिक निरीक्षण करना चाहते थे। चालक और परिचालक को सूचित कर दिया गया। निरीक्षण पर दो व्यक्ति सीटें संख्या 1 और 2 पर संदिग्ध पाए गए और पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः अजीज खान और राम कुमार होना बताया। इसके बाद उन्हें अधिनियम की धारा 50 की शर्तों के तहत तलाशी के लिए दोनों विकल्प दिए गए और उन्होंने पी. डब्ल्यू. 4 के सामने अपनी तलाशी करने के लिए सहमति व्यक्त की। पंचनामा तैयार किया गया। तलाशी के दौरान अपीलार्थी से 710 ग्राम 'ब्राउन शुगर' बरामद की गई जिसे जूतों के अंदर रखा गया था और अजीज खान से 800 ग्राम 'ब्राउन शुगर' बरामद की गई। सत्यापन और विश्लेषण पर यह पाया गया कि जब्त पदार्थ ब्राउन शुगर था। दोनों अभियुक्तगण के बयान दर्ज किये गये। गवाहों की साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया कि यह लोक स्थान में नियमित जाँच के दौरान संयोग से जब्ती का मामला था। से ठीक होने का मामला था। अपीलार्थी व सह अभियुक्त के अनन्य कब्जे से निषिद्ध वस्तुएँ बरामद किए गए थे।

7. इसके अलावा, अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 67 के तहत परीक्षित किया गया जिसमें उसने निषिद्ध वस्तुओं के चेतन्य कब्जे को स्वीकार किया। स्वैच्छिक सस्वीकृति से इंकार नही किया गया। हम पाते है कि गवाह संख्या पी.ड. 2 व 4 की साक्ष्य में भिन्नता पुर्णतया सुक्ष्म है जो गवाहों की साक्ष्य की विश्वसनीयता को किसी रूप में प्रभावित नही करती है। साक्ष्य स्पष्टता के साथ यह दर्शित करती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा नमूनों लेने, मालखाने में जमा कराने, प्रयोगशाला मे जमा कराने व विशेषज्ञों द्वारा जांच किये जाने किये जाने के तथ्य को लेने साबित किया है। पीडब्लू-2 की यह साक्ष्य है कि अभियुक्त व्यक्तियों की तलाशी के दौरान जूतों के अंदर ब्राउन शुगर पाई गई थी। यू.एन.ओ. किट द्वारा जाँच किए जाने पर इसकी पहचान ब्राउन शुगर के रूप में की गई। नमूनों जो कि विधिवत सील्ड किया गया था, उन्हें परीक्षा हेतु नीमच कारखाने में भेजा गया था और रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह निष्कर्ष निकाला कि वस्तुएँ ब्राउन शुगर थीं।

8. उपरोक्त उल्लेखित स्थिति अनुसार इस अपील में कोई आधार नहीं है जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **कालूराम (आर.जे.एस.),** द्वारा किया गया है।**]**

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।